



**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर**  
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक ३१२२.../०५/२०१६/प.गो

रायपुर दिनांक ०६/०९/२०१६

**—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—**


छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्रमांक १२/२०१५/परीक्षा/दिनांक ११.१२.२०१५ एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि १६.१२.२०१५ द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश के कुल ३० पद विज्ञापित किए गए थे।

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-२०१५ का आयोजन दिनांक २४ अप्रैल २०१६ को किया गया। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा कुल ३२४ अभ्यर्थियों का व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५ हेतु प्रावधिक आधार पर चिन्हांकन किया गया था।

दिनांक १३ अगस्त २०१६ को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५ का आयोजन किया गया। उक्त परीक्षा के विज्ञापित पदों का ०३ गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन किया जाना था, किन्तु अंकों की पुनरावृत्ति के कारण ९५ अभ्यर्थियों का प्रावधिक आधार पर साक्षात्कार हेतु चिन्हांकन किया गया है।

व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-२०१५ हेतु साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।

व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५ के लिखित परीक्षा परिणाम आयोग के वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर जारी (अपलोड) कर दिए गए हैं।

  
छत्तीसगढ़

परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर  
शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771-2439564, फ़ैक्स-0771-2331525, 2446556 वेबसाईट : [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in)

क्रमांक २१११/०५/२०१६/प.गो

रायपुर, दिनांक ०६/०९/२०१६

लिखित परीक्षा परिणाम

व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्रमांक १२/२०१५/परीक्षा/दिनांक ११.१२.२०१५ एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि १६.१२.२०१५ द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश के कुल ३० पद विज्ञापित किए गए थे। दिनांक २४ अप्रैल २०१६ को आयोजित ऑनलाईन व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-२०१५ के प्राप्तांकों व वर्गवार तथा उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल ३२४ अभ्यर्थियों को व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५ हेतु चिन्हांकित किया गया था।

दिनांक १३ अगस्त २०१६ को आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-२०१५ के परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राप्तांकों व वर्गवार तथा उपवर्गवार अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर ९५ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिनके अनुक्रमांक बढ़ते क्रम में निम्नानुसार है:-

1512100123	1512100171	1512100218	1512100286	1512100287	1512100292
1512100313	1512100337	1512100349	1512100360	1512100386	1512100399
1512100469	1512100501	1512100528	1512100538	1512100580	1512100622
1512100640	1512100670	1512100733	1512100741	1512100751	1512100780
1512100791	1512100830	1512100840	1512100843	1512100847	1512100880
1512100941	1512100959	1512100986	1512100995	1512101063	1512101079
1512101101	1512101325	1512101959	1512101980	1512101987	1512102075
1512102086	1512102148	1512102530	1512102555	1512102611	1512102764
1512102909	1512103089	1512103297	1512103345	1512103347	1512103692
1512103761	1512103930	1512104641	1512104887	1512105216	1512105229
1512105262	1512105276	1512105278	1512105643	1512105670	1512105676
1512105677	1512105735	1512105878	1512105925	1512106030	1512106086
1512106122	1512106201	1512106246	1512106322	1512106331	1512106353
1512106355	1512106382	1512106452	1512106488	1512106597	1512106682
1512106742	1512106796	1512106836	1512106981	1512107115	1512107282
1512107293	1512107320	1512107330	1512107377	1512107425	X


कुल संख्या :- 95



टीप:-

1. व्यवहार न्यायाधीश (मुख्य) परीक्षा-2015 के आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपर्युक्तानुसार चिन्हांकित अभ्यर्थियों की अर्हता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 12/2015/परीक्षा/ दिनांक 11.12.2015 एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन की तिथि 16.12.2015 की समस्त कंडिकाओं में वर्णित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ शासन के विद्यमान नियमों के अधीन होगी।
2. किसी वर्ग अथवा उपवर्ग में चिन्हांकित अंतिम अभ्यर्थी के समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी भी साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित किए जाते हैं।
3. साक्षात्कार हेतु उक्त अभ्यर्थियों का चिन्हांकन पूर्णतः प्रावधिक है तथा चिन्हांकन/चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने पर आयोग द्वारा अनर्ह घोषित कर चिन्हांकन/चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।
4. व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा-2015 के साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी।
5. उक्त परीक्षा के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाईट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) का नियमित अवलोकन करते रहें।
6. उपर्युक्तानुसार घोषित लिखित परीक्षा परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि होने पर आयोग में संधारित मूल डाटा के आधार पर तैयार सूची ही मान्य होगी एवं तदनुसार लिखित परीक्षा परिणाम संशोधित किया जा सकेगा।

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

  
26/12/16  
परीक्षा नियंत्रक  
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,  
रायपुर